फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय), जयपुर

राजस्व वाद संख्या : 30/2012

उनवानः— काना व अन्य बनाम रामकल्याण व अन्य

20/6/23 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। समयाभाव के कारण आदेश नही लिखवाया जा सका। वास्ते आदेश दिनांक 28.06.2023 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

28/6/23 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। समयाभाव के कारण आदेश नही लिखवाया जा सका। वास्ते आदेश दिनांक 03.07.2023 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

3/7/23 पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 सी0पी0सी0 पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र का मय पत्रावली व अप्रार्थी/प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि विचाराधीन वाद में दौराने विचारण प्रतिवादी संख्या 3, 12, 17, 23, 30, 31, 32 को देहान्त हो गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त प्रतिवादीगण के वारिसान को बतौर कायम मुकामान रिकॉर्ड पर लिये जाने की कृपा करें। अप्रार्थी/प्रतिवादीं ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रतिवादी संख्या 3 की मृत्यु दिनांक 25.09.2021 को प्रतिवादी संख्या 12 की मृत्यु 10 वर्ष पूर्व, प्रतिवादी संख्या 17 की मृत्यु 5 वर्ष पूर्व 23, 30, 31 व 32 की मृत्यु दिनांक 13.01.2017 को हो चुकी है जबकि वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 3, 12, 17, 23, 30, 31 व 32 की मृत्यु की दिनांक व माह व वर्ष अंकित नहीं किया है, ना ही उपरोक्त व्यक्तियों की मृत्यु की जानकारी वादी को किस प्रकार हुई, कब हुयी, कैसे हुयी इस संबंध में भी वादी ने अपने प्रार्थना पत्र में किसी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया है। वादी का वाद मृतक व्यक्तियों के वारिसान को निश्चित समयावधि में पक्षकार बनाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है ना ही वादपत्र उपसमन हो जाने के कारण उपसमन को सेटेसाईड करवाने हेतु प्रार्थना पत्र न्यांयालय में निश्चित समयावधि में प्रस्तुत किया है। जिससे वादी का वाद पत्र सम्पूर्ण अबेट/उपसमन हो जाने के कारण सरसरी तौर पर ही खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/वादीगण ने प्रार्थना पत्र में न तो प्रतिवादी संख्या 3, 12, 17, 23, 30, 31, 32 की मृत्यु की दिनांक ही अंकित की और न ही प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 देरी से प्रस्तुत करने का कोई संतोषपद कारण स्पंष्ट किया है तथा ऐसा कोई विशेष कारण अंकित नही किया है जिससे ऐसा प्रतीत होता हो की प्रार्थी/वादीगण को प्रतिवादी संख्या 3, 12, 17, 23, 30, 31, 32 की मृत्यु की जानकारी नहीं थी। नियमानुसार प्रतिवादी की मृत्यु होने पर मृत्यु की दिनांक से 90 दिवस की अवधि में कायम मुकामान का आवेदन कानूनन प्रार्थी को प्रस्तुत करना आवश्यक होता है लेकिन प्रार्थी/वादीगण द्वारा ऐसा नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी/वादीगण का वाद चलने योग्य नही है। अतः प्रार्थीगण/वादीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 खारिज किया जाकर वादीगण का वाद अबैट/उपसमन होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 03.07.2023 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner